जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

186/15

अपील सूचना अधि. सं0 186/2015 अनवानी गुरदीप कौर पुत्री स्व0 श्रीमति किरपाल कौर निवासी 507, हिलग्रो अपार्टमेंटस, जीएच–5, सेक्टर 21–सी, फरीदाबाद बनाम तहसीलदार घड़साना

31–03–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थीया गुरदीप कौर उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, घड़साना के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थीया गुरदीप कौर द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.10.2015 से खातेदार श्रीमति किरपाल कौर की मृत्यु होने पर चक 4 एमएलडी बी सेकेण्ड के मु0न0 27/32 कि.न. 1से25 कुल 6.325 हे0 एवं 27/40 कि.न. 20.21 कुल 6.780 हे0 के नामान्तरणकरण के संबंध में निम्न सूचना तहसीलदार, घड़साना चाही थी:–

(1) Copies of correspondence and documents exchaged betbeen legal heirs of Late Mrs. Kirpal Kaur w/o of late Shri Harcharan singh and revenue authorities in respect to Mutation of agriculture land in purana Gharsana 4 MLD B(II) Tehsil Gharsana 27/32 Killa no. 1 to 25 land area 6-325 Hectares and 27/40 Killa no. 20-21 land area 6-780 Hectares, as available in office of Tehsildar Gharsana .

(2) Copies of action taken by the office of Tehsildar Gharsana to date in respect to Mutation of agriculture land in purana Gharsana 4 MLD B(II) Tehsil Gharsana 27/32 Killa no. 1 to 25 land area 6-325 Hectares and 27/40 Killa no. 20-21 land area 6-780 Hectares.

(3) List of Documents (if any) required by the office of Tehsildar Gharsana for finalixzation of Mutation of agriculture land in purana Gharsana 4 MLD B(II) Tehsil Gharsana 27/32 Killa no. 1 to 25 land area 6-325 Hectares and 27/40 Killa no. 20-21 land area 6-780 Hectares.

अपीलार्थीया गुरदीप कौर ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 12.10.2015 के द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उपलब्ध करवाने के आदेश दिये जावे।

अपीलार्थीया के अपील पत्र के संबंध में तहसीलदार, घड़साना द्वारा प्रतिवेदन संख्या 766 दिनांक 11.01.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीया गुरदीप कौर का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 08.12.2015 को प्राप्त हुआ है जिसके संबंध में प्रार्थीया को पत्र सं0 भू.अ./2015/3920 दिनांक 19.12.15 से वारिसान जांच रिपोर्ट जमा करवाने के लिए लिखा गया था जो प्रार्थीया द्वारा जमा नही करवायी है।

तहसीलदार, घड़साना ने पत्र सं0 3920 दिनांक 19.12.15 से प्रार्थीया को उसके सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र के संबंध में निम्नानुसार सूचित किया गया है:–

उपरोक्त विषय में इस कार्यालय के पत्रांक भू.अ./2548 दिनांक 24.6.14 के द्वारा वारिसान की जांच रिपोर्ट तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर से करवाकर लाने हेतु आदेश आपके प्रा0 पत्र पर दिया गया था किन्तु आपके द्वारा वारिसान की जांच रिपोर्ट तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर के कार्यालय की इस कार्यालय में पेश नही की है। अतः आप तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर से वारिसान की जांच रिपोर्ट इस कार्यालय में पेश करें ताकि आपके प्रा0 पत्र का निस्तारण कर आपको नकले उपलब्ध करवाई जा सके।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

186/15

#3/2

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है और चाही गई सूचना प्रश्नात्मक नही होनी चाहिए। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के संबंध में कोई आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान की जा सकती है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** फिर भी लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार घड़साना द्वारा अपीलार्थीया को लिखित में 19.12.2015 के पत्र से **वारिसान की जांच रिपोर्ट जमा करवाने के लिए** अपीलार्थीया को सूचित किया जा चुका है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निरस्त की जाती है। और लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, घड़साना को हिदायत की जाती है कि प्रार्थीया **किसी निश्चित अभिलेख की सूचना लेना चाहे** तो उसे नियमानुसार उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करवाकर नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार घड़साना को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थीया को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 31.03.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर